न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी : दमयंती कंवर
(आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 98/2018
रामवतार आदि   बनाम   प्रभूदयाल आदि

दावा बाबत घोषणार्थ स्थाई निषेधाज्ञा
प्रार्थना पत्र – अं.आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी.
अन्तर्गत आदेश 2 नियम 2 व धारा 2(2) व
धारा 11 सहपठित धारा 151 सी.पी.सी.

ऐडवोकेट आवेदक अप्रार्थी – श्री भोजराज सिंह शेखावत
ऐडवोकेट अनावेदक प्रार्थी – श्री शीशुपाल सिह कुल्हरी

–:: आदेश ::–

दिनांक 30–03–2022

प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि :– प्रार्थी अनावेदक द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण नं0 1/1 लगायत 1/6 प्रार्थना–पत्र अं. आदेश 7 नियम 11, आदेश 2 नियम 2 व धारा 2(2) व धारा 11 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. इस कदर पेश किया कि राजस्व ग्राम झाझड़ की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 427, 952, 1000, 1001, 1016, 1033 रकबा क्रमशः 0.87, 0.57, 0.02, 2.79, 1.77, 1.77 हैक्टर कुल किता 6 कुल रकबा 7.79 हैक्टर की खातेदारी पूर्व में नारायण व बालजी पुत्रान् महाबक्स के नाम से दर्ज राजस्व रिकॉर्ड थी, बालजी के फौत होने पर उसके हिस्से की 1/2 भूमि का इंतकाल संख्या 182 दिनांक 22.05.90 को प्रार्थीगण के पिता व पति स्व0 प्रभुदयाल दत्तक पुत्र बालजी के नाम से दर्ज किया जाकर रास्व रिकार्ड में अंकन हो गया, नारायण पुत्र महाबक्स के फौत होने पर उसकी खातेदारी की 1/2 हिस्से की भूमि में भी प्रभुदयाल, नारायण को जायन्दा पुत्र होने से अन्य वारीसान बनवारीलाल, मदनलाल व रामावतार के नाम के साथ राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो गया, जिससे व्यथित होकर नारायण के वारीसान बनवारीलाल, मदनलाल व रामोतार ने प्रतिवादी प्रभुदयाल के खिलाफ माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय, नवलगढ के यहां वाद उनवानी बनवारीलाल वगैरह बनाम प्रभुदयाल वगैरह दिनांक 23.02.1991 प्रस्तुत किया, जिसका मुकदमा नम्बर 35/91 था, जिसका अंतिम निर्णय दिनांक 29.04.1993 को हो गया। उक्त पूर्ववर्ती वाद घोषणार्थ व विभाजन का प्रस्तुत कर वादकारण दर्ज किया है, जबकि पश्चात्वर्ती वाद में वादकारण दिनांक 23.05.2018 को वाद–पत्र में दर्ज भूमि को विक्रय करने की धमकी देने के रोज अदालत हाजा में पैदा हुआ है, का अंकन किया है। अप्रार्थी/वादी ने नामान्तरण संख्या 182 दिनांक 22.05.90 के दर्ज होने को चुनौति दी है, जबकि अप्रार्थी/वादी उक्त नामान्तरण संख्या 182 दिनांक [illegible] को अपने पूर्व वाद संख्या 35/91 में विधि संगत मानते हुये दावा [illegible] है, जबकि [illegible] द में उक्त नामान्तरण बाबत् अंतिम निर्णय हो चुका है, इसलिये प[illegible] नहीं करता है। इसलिये वादकारण के अभाव में वादी का वाद–पत्र खारिज [illegible] जावे।

पूर्ववर्ती वाद संख्या 35/91 के पैरा नं0 2 के वादीगण ने स्व0 महाबक्स की वंशावली अंकित की है, जिसमें स्व0 बालजी के दत्तक पुत्र के रूप में प्रतिवादी नं0 1 प्रभुदयाल को दर्शाया है व कथन किया है कि "फरीकेन एक ही दादा की औलाद है, बालजी ने अपने बड़े भाई नारायण का एक लड़का प्रभुदयाल को गोद लिया है, अब बालजी के फौत होने पर उनकी जगह उनके दत्तक पुत्र प्रभुदयाल का नाम राजस्व रिकॉर्ड में इंतकाल के जरिये लिखा गया है, जो सही है, इसलिये यह घोषणा का वाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:15:05 IST
Reason: SelfAttested

ए.सी.ई.एम. (फा. ट्रे.)
नवलगढ़

प्रभुदयाल का नाम नारायण के हिस्से से हटाने के लिये किया जा रहा है तथा इस जमीन के आधे हिस्से में वादीगण का नाम होना चाहिये तथा आधे हिस्से में प्रतिवादी नं0 1 प्रभुदयाल का होना चाहिये। जब पूर्ववर्ती वाद में वादी ने जहां अपने दावे के किसी भाग के बारे में वाद लाने का लोप करता है, उसे आशय त्याग देता है, वहां उसके पश्चात् वह इस लोप किये गये या त्याग भाग के बारे में वाद नहीं ला सकता है। इस प्रकार वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अं. आदेश 2 नियम 2 सी.पी.सी. के प्रावधानो के तहत खारीज फरमाया जावें।

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र विवादित भूमि का निर्णय माननीय न्यायालय द्वारा उनवानी वाद बनवारीलाल वगैरह बनाम प्रभुदयाल वगैरह मु0 नं0 35/91 का अंतिम निर्णय दिनांक 29.04.93 को पारीत होकर डिक्री हो गया है, उक्त डिक्री की आज तक किसी भी सक्षम न्यायालय में वादी ने अपील नहीं की है, जो अंतिम डिक्री है व वादी द्वारा इन्ही तथ्यो के आधार पर पुनः वाद–पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो वह अं. धारा 11 सी.पी.सी. के तहत प्रांगन्याय के सिद्धान्त से बाधित है, वादी का वाद–पत्र उपरोक्त वर्णित कानूनी प्रावधान अनुसार बार्ड बाई लॉ होने से प्रथम दृष्टया ही खारीज फरमाया जाना आवश्यक व न्यायोचित है।

वादी ने घोषणा का वाद पेश किया है। इस प्रकार के वाद में भूमिधारक तहसीलदार आवश्यक पक्षकार है, बिना भूमिधारक पक्षकार बनाये घोषणा का वाद कानूनन नहीं चल सकता, कारण कि वादी का वाद अं0 आदेश 1 नियम 9 जा0दी0 के प्रोविजनल के विपरीत होने से खारीज होने योग्य है।

अतः प्रार्थना–पत्र पेशकर निवेदन है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर वादी का वाद खारीज फरमाया जावें।

वकील अप्रार्थी (अनावेदक) ने अनावेदक की प्रार्थना पत्र का विरोध प्रकट करते हुये जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि प्रार्थना–पत्र की धारा 2 जिस तरह से दर्ज है, गलत होने से अस्वीकार है। ग्राम झाझड़ में भूमि खसरा नम्बर 427, 952, 1000, 1001, 1016, 1033 रकबा क्रमशः 0. 87, 0.57, 0.02, 2.79, 1.77, 1.77 हैक्टर कुल किता 6 कुल रकबा 7.79 हैक्टर नारायण, बालजी पुत्रान् महाबक्स, जाति ब्राहम्ण के 1/2, 1/2 हिस्से में खातेदारी चली आ रही थी। नारायण की मृत्यु होने पर उसके चारो पुत्र क्रमशः प्रभुदयाल, रामावतार, बनवारीलाल तथा मदनलाल के नाम विरासतन दर्ज हुई तथा बालजी की मृत्यु होने पर उनका 1/2 हिस्सा एकमात्र पुत्री गीता देवी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होने के पश्चात् तत्कालिन सरपंच ग्राम पंचायत झाझड़ से षड्यंत्र रचकर प्रभुदयाल ने विधि विरूद्ध दत्तक पुत्र बालजी बताकर बिना सहमति के फर्जी तरीके से गीता की सहमति के बिना पहचान के दर्शित कर नामान्तरण संख्या 182 के द्वारा ग्राम पंचायत से विधि विरूद्ध दत्तक पुत्र बालजी घोषित करवाने का प्रयास किया, जिसमें न तो गोदनामा का उल्लेख है, ना ही कभी बालजी ने प्रभुदयाल को गोद लिया। यदि दत्तक पुत्र प्रभुदयाल बालजी का होता तो नारायण की मृत्यु होने पर प्रभुदयाल का इंतकाल विरासतन नहीं भरा जाता, चूंकि प्रभुदयाल चतुर चालाक होने के कारण पूर्ण ज्ञान था कि गीता/अपने भाईयों को इस संबंध में ज्ञान होगा तब षड्यंत्र का पता चल सकता है, इसलिये षड्यंत्र रचकर धोखे में रखकर वादी ने यह कहकर एक कागज पर हस्ताक्षर करवाये कि मेरा रिकॉर्ड में नाम गलत आ गया है, तहसील कार्यालय से हटवाने के लिए [illegible] कर दो, उक्त खाली पृष्ठ पर [illegible] कर वाद प्रस्तुत किया गया है। मु0 सं0 35/91 के वाद का पृष्ठ सं0 5 [illegible] में तैयार कर जोड़ा गया उक्त वाद–पत्र 35/91 के पृष्ठ संख्या 5 [illegible] प्रस्तुत किया, चूंकि जवाब देहन्दा कभी है। जवाब देहन्दा को ज्ञान भी नहीं है कि प्रभुदयाल ने कब वाद [illegible], तथाकथित मु0 नं0 35/91 का न तो न्यायालय में इस वाद से पूर्व आया, न ही कभी वाद [illegible] मु0 नं0 35/91 में भी षड्यंत्र रचकर बिना विधि की प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने पर प्रार्थी को ज्ञान हुआ। मु0 नं0 35/91 में भी षड्यंत्र रचकर बिना विधि की प्रक्रिया का पालन किये बगैर, बिना शपथ–पत्र पेश किये, बिना दस्तावेज प्रदर्शित करवाये, बिना राजस्व

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:15:05 IST
Reason: SelfAttested

ए. सी. ई. एम. (फा. टै.)
नवलगढ़

नियम 18 से 21 की पालना किये बिना शहादत के स्वयं को उक्त वाद में एक्स पार्टी करवाकर विधिक तरीके का विधिक दुरूपयोग का न्यायालय को धोखा देकर निर्णय व डिक्री प्राप्त की है ताकि भविष्य में षड्यंत्र का पता चलने पर भी न्यायालय से फायदा प्राप्त कर सकें। विधि विरूद्ध अपने क्षैत्राधिकार के बाहर जाकर ग्राम पंचायत से दत्तक पुत्र घोषित करवाना, तत्पश्चात् फर्जी तरीके से राजस्व न्यायालय से बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये दतक पुत्र घोषित करवाये के फ्रोड कर डिक्री प्राप्त करने के कारण तथा बालजी का फर्जी वारीस बनकर पैतृक भूमि को हड़पने के लिए प्रयास किया। इसलिये आदेश 2 नियम 2 सी0पी0सी0 के प्रावधान वाद पर लागू नहीं होने के कारण से प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र मय हर्जे–खर्चे के खारीज फरमाया जावे।

प्रार्थना–पत्र की धारा 3 जिस तरह से दर्ज है, अस्वीकार है। मु0 सं0 35/91 का न तो प्रार्थी को ईल्म है कि कब, किसने प्रस्तुत किया तथा फर्जी तरीके से वाद प्रस्तुत कर राजस्व न्यायालय से दत्तक पुत्र घोषित करवाने का प्रयास किया गया है। जबकि सिविल न्यायालय को ही दतक पुत्र घोषित करने का अधिकार है। प्रार्थना–पत्र में "फरीकेन एक ही दादा की औलाद है, बालजी ने अपने बड़े भाई नारायण का एक लड़का प्रभुदयाल गोद लिया है, अब बालजी के फौत होने पर उनकी जगह दतक पुत्र प्रभुदयाल का नाम राजस्व रिकॉर्ड में इंतकाल के जरिये लिखा गया है, जो सही है। इसलिये यह घोषणा का वाद प्रभुदयाल का नाम नारायण के हिस्से हटाने के लिए किया जा रहा है" जब दत्तक पुत्र फर्जी तरीके से ग्राम पंचायत से घोषित करवाने के पशचात् प्रभुदयाल को पूर्ण जानकारी थी कि षड्यंत्र का पता चलने पर भविष्य में विवाद उत्पन्न होने पर उसका फायदा कैसे प्राप्त किया जावें, उसी सोच के तहत तत्कालिन अधिवक्ता से सांठगाठ कर विधि का दुरूपयोग कर राजस्व न्यायालय से दत्तक पुत्र की घोषणा करवाने के लिये वाद प्रस्तुत किया गया है जिसमें भी जवाबदेहन्दा का फर्जी तरीके से हस्ताक्षर प्राप्त कर फर्जी तरीके से वाद–पत्र का पृष्ठ संख्या 5 तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया तथा उक्त तथाकथित वाद संख्या 35/91 मे प्रभुदयाल द्वारा ही कथन दर्ज कर करवाकर फर्जी तरीके से प्रस्तुत किया गया है। विधि विरूद्ध बना दस्तावेज अथवा विधि विरूद्ध निर्णय या डिग्री से प्रार्थी किसी भी प्रकार का लाभ प्राप्त नही कर सकता है। चूंकि विधि की दृष्टि से शुरू से ही शून्य होने के कारण से वादी के वाद पर आ 2 नि0 2 सी.पी0सी0 के प्रावधान लागू नहीं होने के कारण प्रार्थना–पत्र खारिज फरमाया जावें।

प्रार्थना–पत्र की धारा 4 जिस तरह से दर्ज है, अस्वीकार है। तथाकथित मु0 नं0 35/91 के निर्णय अथवा के संबंध में जवाबदेहन्दा को ज्ञान ही नहीं था तो अपील आदि करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है, चूंकि प्रभुदयाल ने चतुर चालाक होने साथ कोर्ट कचहरी में आने–जाने का पूरा षड्यंत्र रचकर विधि का दुरूपयोग कर धोखे से निर्णय व डिक्री प्राप्त की है। इसलिये धारा 11 सी0पी0सी0 के प्रावधान न तो वादी के वाद पर लागू होते है, न ही उन प्रावधानो से वादी का वाद बाधित है। विधिक प्रक्रिया अपनाकर विधिक तरीके से प्राप्त डिक्री होने पर धारा 11 के प्रावधान लागू होते है?, चूंकि मु0 नं0 35/91 में न तो विधिक प्रक्रिया का पालन किया गया, न ही शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया, ना ही साक्ष्य प्रस्तुत किये गये, साथ ही साथ जवाब देहन्दा से धोखा देकर खाली पेपर पर हस्ताक्षर करवाकर मु0 नं0 35/91 का पृष्ठ सं0 5 तैयारकर वाद प्रस्तुत होने के कारण से धारा 11 सी0पी0सी0 के प्रावधान लागू नहीं होने के कारण से प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र खारिज फरमाया जावें।

प्रार्थना–पत्र की धारा 5 जिस तरह से दर्ज है, अस्वीकार है। धारा 88 राज0का0अ0 में ऐसा कोई उपबन्धित नहीं है कि ऐसे वाद में राज्य सरकार [illegible] पक्षकार है, उक्त निर्णय आर.आर. डी. 1974 पेज 194 में उच्चतम न्यायालय ने प्रतिपादित किया [illegible] है फिर भी न्यायालय अगर आवश्यक इफेक्टिव पक्षकार मानता है तो किसी भी समय आदेश जारी कर वाद–पत्र में पक्षकार बनाने हेतु निर्देश दे सकता है, जिसके संबंध में जवाबदेहन्दा द्वारा दिनांक 28.02.2021 को प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जा

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:15:05 IST
Reason: SelfAttested

ए.सी.जे.एम. (का.दे.)

चुका है जिसका न तो जवाब प्रस्तुत किया गया है, न ही प्रार्थना–पत्र का निर्णय हुआ है, साथ ही साथ आवश्यक पक्षकार वह होता है जिससे आप सिद्धि प्राप्त करना चाहते है, चूंकि राज्य सरकार से प्रार्थी ने कोई सहायता नहीं चाही है, विभाजन के वाद में राज्य सरकार आवश्यक पक्षकार होता है इसलिये प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र खारीज फरमाया जावें।

अतः जवाब प्रार्थना–पत्र पेशकर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र मय हर्जे खर्चे खारीज फरमाया जावें।

जवाब देही प्रस्तुत होने पर बहस पक्षकारान सुनी गई। वकील प्रार्थी (प्रतिवादीगण ने प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि ग्राम वाद पत्र में प्रस्तुत वंशावली पेश की गई हे। जिसमे बालजी व पुत्री गीता है। उनवानी दावा बनवारी बनाम प्रभूदयाल पेश किया जिसका मुकदमा नम्बर 35/1991 जो दिनांकह 23.02.1991 को दर्ज रजिस्टर हुआ हुआ था। उक्त दावा वादी रामावतार प्रतिवादी नम्बर 2 मदनलाल व बनवारी लाल की ओर से प्रस्तुत किया गया जो प्रतिवादी नम्बर 1 प्रभूदयाल के विरूद्ध था, जो वाद की विषयवस्तु खसरा नम्बर 952, 1000, 1001, 1016, 1033 रकबा 7.78 हैक्टर के संबंध में था। उक्त वाद में वादी रामावतार ने प्रतिवादी नम्बर 1 प्रभूदयाल को वंशावली में अंकित बालजी का दत्तक पुत्र होना स्वीकार किया है। उक्त वाद में वादी रामावतार ने वादकारण दिनांक 23.02.1991 को होना अंकित किया तथा उक्त वाद का गुणावगुण के आधार पर दिनांक 29.04.1993 को अंतिम निर्णय न्यायालय द्वारा पारित किया गया। उक्त वाद घोषणार्थ व विभाजन का था। वादी रामावतार ने स्वयं ने प्रभूदयाल को नारायण के भाई बालजी का दत्तक पुत्र होना दर्ज करके बालजी के भाई नारायण के 1/2 हिस्से में प्रभूदयाल का नाम गलती से आना अंकित किया है, जबकि प्रभूदयाल बालजी के दत्तक चला गया तो नारायण के हिस्से में प्रभूदयाल का नाम गलती से आने का उल्लेख पूर्ववर्ती वाद में दर्ज किया है। जबकि पश्चातवर्ती वाद में वादी रामोतार ने पूर्ववर्ती वाद में तथ्यों से पलटते हुए प्रभूदयाल को बालजी का दत्तक पुत्र होने से इन्कार कर बालजी के हिस्से की भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को 1/3 – 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित करने की रिलीफ डिमाण्ड की है। वादी पूर्ववर्ती वाद में दर्ज तथ्यों से इन्कार नही कर सकता वादी विबंद्ध के सिद्धांत से प्रतिबंद्धित है चूंकि पूर्ववर्ती वाद का अंतिम रूप से निर्णय हो चुका है, जिसकी आज तक किसी भी अपीलीय न्यायालय में चुनौती नही दी गई है। इसलिए वादी को उसी विषयवस्तु पर पुनः वाद लाने का वादकारण नही है। वादी का पश्चातवर्ती वाद Section 11 के तहत Resjudicata (पूर्व न्याय) के सिद्धांत से प्रतिबंद्धित है। वादी का वाद विधि द्वारा वर्जित है। पूर्ववर्ती वाद में निर्णय व डिक्री जारी हुई है। इसलिए एक बार डिक्री जारी होने के बाद उसी विषयवस्तु पर पुनः वाद प्रस्तुत किया जाना Section 2 C.p.c के प्रतिकूल है तथा अन्तर्गत Order 2 Rules 2 C.p.c के भी प्रतिकूल है। यदि Plaint का कोई Part भी निर्णित हो जाये तो भी वादी को पुनः वाद लाने का अधिकार नही है। वादी ने विधि द्वारा वर्जित वाद पेश किया है तथा वादी को कोई वाद हैतुक उक्त वाद के लिए नही है। इसलिए वाद का वाद उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित आधारो पर खारिज होने योग्य है।

जवाब बहस में वादी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र के जवाब में वर्णित तथ्यों को दौराने बहस दोहराय तथा कथन किया कि प्रतिवादी ने प्रार्थना पत्र में [illegible] नहीं किया कि वाद किस विधि द्वारा वर्जित है तथा साथ ही कथन किया कि Section [illegible] Order 2 Rules 2 C.p.c के नियम स्पष्ट है कि पूर्व में कोई निर्णय पारित किया जाता है तो उसी विषयवस्तु पर पुनः वाद प्रस्तुत नही किया जा सकता। परन्तु पूर्ववर्ती वाद में Fraud के आधार पर तथा न्यायालय को मुगालते में रखकर निर्णय प्राप्त किया गया था। जहां कोई निर्णय व डिक्री Fraud के आधार पर प्राप्त की जाती है तो निर्णय व डिक्री शून्य होती है जिस पर Resjudicata का सिंद्धांत व Order 2 Rules 2 C.p.c के प्रावधान लागू नही होते। तथा उक्त मामला ऐसा है जिसमें पोता दादा के गोद जा रहा है जो पूर्ववर्ती निर्णय हस्तलिखित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:15:05 IST
Reason: SelfAttested

ए.सी.जे.एम. (का.दे.)
नवलगढ़

कानूनी रूप से गलत है। दावा शहादत वादी के प्रक्रम पर है, जो भी निर्णय होना है। दोनो पक्षों की साक्ष्य ली जाकर तय होना है। Section 11 C.p.c विधि का मिश्रित प्रश्न है। इस प्रक्रम पर प्रार्थना पत्र के आधार पर निर्णय पारित करना कानूनन गलत है। पूर्ववर्ती वाद गलत रूप से निर्णय किया गया जिसमें बालजी की पुत्री गीता के हिस्से का ही लोप कर दिया और अकेले प्रभूदयाल ने बालजी का हिस्सा अपने नाम दर्ज करवा लिया। राजस्व न्यायालय से Pre-plan घोषणा की डिक्री प्राप्त की गई। यहां तक ना तो पक्षकारों को नोटिस जारी किये गये, ना ही प्रदर्श डाले गये, ना ही दस्तावेज पेश हुए। दावे पर रामावतार के ना तो हस्ताक्षर है ना तस्दीक है ना ही शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया है। पूर्व दावा Fraud के आधार पर तय किया गया है। गीता देवी को तो पक्षकार भी नही बनाया गया। ना ही ग्राम पंचायत को दत्तक घोषित करने का अधिकार था। पूर्ववर्ती वाद प्रक्रियात्मक त्रुटि के आधार पर पारित किया गया है। अगर प्रभूदयाल दत्तक गया होता तो नारायण के हिस्से में प्रभूदयाल भी नाम दर्ज नही होता। गोद का बिन्दु सिविल न्यायालय के क्षैत्राधिकार का है परन्तु राजस्व न्यायालय ने क्षैत्राधिकार के बाहर जाकर गोद के बिन्दु को तय करके सांठ–गांठ के परिणाम स्वरूप निर्णय पारित किया गया है जो कानूनन गलत है। ऐसी परिस्थिति में विचाराधीन वाद पर प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्य लागू नही होते। ना ही वादी का वाद Resjudicata के सिद्धांत से बाधित है। न्यायालय द्वारा दोनो पक्षों की साक्ष्य ली जाकर तनकीवार विवेचन करके निर्णय पारित किया जाना है। इसलिए इस स्तर पर प्रतिवादीगण का प्रार्थना–पत्र कानूनन खारिज होने योग्य है। वकील अप्रार्थी (वादी) ने निम्न न्यायिक दृष्टांत RRT 2016 (1)PAGE NO, 485, RRT 2018 (2) PAGE NO. 1329, RBJ 2018 (1) PAGE NO. 1, CJ(CIV) 2016 (2) PAGE 906, CJ(CIV) 2016 (2) PAGE 1226 आदि पेश किये।

जवाब में प्रतिवादीगण अधिवक्ता ने कथन किया कि निर्णय अंतिम है स्वयं वादी ने पूर्ववर्ती वाद प्रस्तुत किया इसलिए वादी यह नही कर सकता कि निर्णय Fraud के आधार पर प्राप्त किया गया है। जहां तक Notice जारी नही करने का प्रश्न है, वादी ने गलत कथन किया है। प्रभूदयाल ने अपना अधिवक्ता श्री हरलाल सैनी को पूर्व वाद में नियुक्त किया है तथा दोनो पक्षों को सुनकर निर्णय पारित किया है। निर्णय किसी भी दृष्टि से पारित किया गया हो, अंतिम है जिसकी अपीलीय न्यायालय में अपील पोषणीय है। यदि वादी यह कथन करता है कि डिक्री व निर्णय Fraud से प्राप्त किया है तो भी उक्त निर्णय की अपील पोषणीय है अथवा सिविल न्यायालय में पूर्ववर्ती निर्णय को चुनौती दी जा सकती है। चूंकि वादी ने ना तो अपीलीय न्यायालय में अपील प्रस्तुत की है ना ही अन्दर मियाद सिविल न्यायालय में चुनौती दी गई है। निर्णय अंतिम है। इसलिए दावा कानूनी रूप से खारिज होने योग्य है। वकील प्रतिवादी ने निम्न न्यायिक दृष्टांत DNJ 2017 (1) PAGE NO. 1, RLW 2012(1)PAGE NO. 246, RLW 2014(4)PAGE NO. 3584, RLW 2014(2)PAGE NO. 1765, DNJ 2007 (2) PAGE NO. 761, DNJ 2011 (1) PAGE NO. 279, RLW 2014(3)RAJ.PAGE NO. 2459, RRT 2014 (2) PAGE 1321, RLW 2002 RAJ. PAGE NO. 633, RLW 2008(1)PAGE NO. 569 आदि पेश किये।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं उपलब्ध रिकार्ड का अध्ययन व अवलोकन किया तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों पर मनन किया। वादी ने वाके ग्राम झाझड़ स्थित भूमि खसरा नम्बर 103[illegible] रकबा 1.77 हैक्टर, खसरा नम्बर 1853/1001 रकबा 1.60 हैक्टर के संबंध में किया है व सजरा पेश किया है, जिस[illegible] के एकमात्र पुत्री गीता देवी का कथन किया है व नारायण के 4 पुत्र बनवारीलाल [illegible] प्रभूदयाल का कथन किया है। नारायण व बालजी की खातेदारी की सम्पूर्ण भूमि राजस्व ग्राम [illegible] की तरह में भूमि खसरा नम्बर 427 रकबा 0.8700 हैक्टर, खसरा नम्बर 952 रकबा 0.5700 हैक्टर, खसरा नम्बर 1000 रकबा 0.0200 हैक्टर, खसरा नम्बर 1001 रकबा 2.79 हैक्टर, खसरा नम्बर 10[illegible] रकबा 1.77 हैक्टर की खसरा नम्बर 1033 रकबा 1.77 हैक्टर कुल किता 6 कुल रकबा 7.79 हैक्टर की खातेदारी पूर्व में नारायण व बालजी पुत्रान् महाबक्स के नाम से दर्ज राजस्व रिकार्ड थी, बालजी के फौत होने पर उसके हिस्से की 1/2

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:15:05 IST
Reason: SelfAttested

ए.सी.ई.एम. (पा.दे.)
नवलगढ़

भूमि का इन्तकाल संख्या 182 दिनांक 22.05.1990 को प्रार्थीगण के पिता व पति स्वर्गीय प्रभूदयाल दत्तक पुत्र बालजी के नाम से दर्ज किया। नारायण के फौत होने पर उसकी खातेदारी 1/2 हिस्से की भूमि मे भी प्रभूदयाल नारायण का जायन्दा पुत्र होने से नारायण के अन्य वारिसान बनवारीलाल, मदनलाल व रामवतार के नाम के साथ राजस्व रिकार्ड दर्ज हो गया, जिससे व्यथित होकर नारायण के वारिसान बनवारीलाल, मदनलाल व रामावतार ने प्रतिवादी प्रभूदयाल के विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ के यहां वाद उनवनी बनवारी लाल आदि बनाम प्रभूदयाल आदि दिनांक 23.02.1991 को प्रस्तुत किया जिसका मुकदमा नम्बर 35/1991 था, जिसका अन्तिम निर्णय दिनांक 29.04.1993 को हो गया। परन्तु उक्त निर्णय की आज तक कोई अपील नही की गई है। उक्त पूर्ववर्ती वाद घोषणार्थ व विभाजन का प्रस्तुत कर दिनांक 23.02.1991 का वादकारण दर्ज किया है, जबकि पश्चातवर्ती वाद में वादकारण दिनांक 23.05.2018 दर्ज किया है। वादी ने नामान्तकरण संख्या 182 दिनांक 22.05.1990 दर्ज होने को चुनौती दी है। वादी उक्त नामान्तकरण को अपने पूर्व वाद संख्या 35/1991 विधि सम्मत मानते हुए सही माना है। जहां तक कानूनन पूर्व वाद में उक्त नामान्तकरण बाबत अन्तिम निर्णय पारित हो चुका हो, पश्चातवर्ती वाद में वाद हेतुक प्रकट नही करता है। वहां वाद कानूनन खारिज कर देना चाहिए। जब पूर्ववर्ती वाद में वादी ने जहां अपने दावे के किसी भाग के बारे में वाद लाने का लोप करता है, उसे साशय त्याग देता है, वहां उसके पश्चात वह इस लोप किये गये या त्याग भाग के बारे में वाद नही ला सकता। वादी स्वीकृतियों से बाहर नही जा सकता और आगे न्यायनिर्णयन करना आवश्यक नही है।

आदेश 2 नियम 2 सीपीसी का सवाल है उसमें स्पष्ट है कि एक वाद हैतुक पर दूसरे वाद का वर्जन इसका निविर्दिष्ट रूप से अभिभावक करना होता है। दोनो वादो के हेतुक एक समान हो तो दोनो ही अनुतोष का दावा एक ही वाद में किया जा सकता है। प्रथम वाद दायर करने के समय उपलब्ध थे और उनका त्याग करने के बाद वह सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 2 नियम 2 के प्रावधानो की दृष्टि से पृथक वाद दायर नही सकता। यदि वादी द्वारा उन्ही तथ्यों के आधार पर पुनः वाद लाया जाता है तो वह अन्तर्गत धारा 11 सीपीसी के तहत प्रांगन्याय के सिद्धांत से बाधित है। पश्चातवर्ती वाद पूर्व न्याय के सिद्धात से वर्जित है क्यों कि धारा 88 के तहत दायर पूर्व वाद तभी पोषित हो सकता था जब वादी उस भूमि का काश्तकार होता, वादी ने खातेदारी अधिकारों की घोषणा हेतु पुनः पश्चातवर्ती वाद नही ला सकता। जहां वाद पूर्व न्याय के सिद्धांत के तहत वर्जित था तो दूसरा वाद दायर करने से सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 12 में वर्जित है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी॰पी॰सी॰ व धारा 151 सी॰पी॰सी॰ का है। आदेश 7 नियम 11 निम्नानुसार है, जिसके अनुसार वाद पत्र निम्नलिखित दशाओं में नामंजूर कर दिया जायेगाः–

1. जहां वह वाद हेतुक प्रकट नही करता है,
2. जहां दावाकृति अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया है और वादी मूल्यांकन को ठीक करने के लिये न्यायालय द्वारा अपेक्षित किये जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है ऐसा करने में असफल रहता है।
3. जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन ठीक है किन्तु वाद पत्र अपर्याप्त स्टाम्प–पत्र पर लिखा गया है और वादी अपेक्षित स्टाम्प पत्र के देने के लिये न्यायालय द्वारा अपेक्षित किये जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है ऐसा करने में असफल रहता है।
4. जहां वाद पत्र में के कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है।
5. जहां वह डुप्लीकेट फाईल नही किया गया है।
6. जहां वादी 9 नियम 2 की अनुपालना करने में असमर्थ रहा है।

ए. सी. ई. एस. (फा. ट्रे.)
नवलगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:15:05 IST
Reason: SelfAttested

यहां ये उल्लेखनीय है कि राजस्व ग्राम झाझड़ की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 427, 952, 1000, 1001, 1016, 1033 रकबा क्रमशः 0.87, 0.57, 0.02, 2.79, 1.77, 1.77 हैक्टर कुल किता 6 कुल रकबा 7.79 हैक्टर की खातेदारी पूर्व में नारायण व बालजी पुत्रान् महाबक्स के नाम से दर्ज राजस्व रिकॉर्ड थी, बालजी के फौत होने पर उसके हिससे की 1/2 भूमि का इंतकाल संख्या 182 दिनांक 22.05.90 को प्रार्थीगण के पिता व पति स्व0 प्रभुदयाल दत्तक पुत्र बालजी के नाम से दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अंकन हो गया, नारायण पुत्र महाबक्स के फौत होने पर उसकी खातेदारी की 1/2 हिस्से की भूमि में भी प्रभुदयाल, नारायण को जायन्दा पुत्र होने से अन्य वारिसान बनवारीलाल, मदनलाल व रामावतार के नाम के साथ राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो गया, जिससे व्यथित होकर नारायण के वारीसान बनवारीलाल, मदनलाल व रामोतार ने प्रतिवादी प्रभुदयाल के खिलाफ माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय, नवलगढ के यहां वाद उनवानी बनवारीलाल वगैरह बनाम प्रभुदयाल वगैरह दिनांक 23.02.1991 प्रस्तुत किया, जिसका मुकदमा नम्बर 35/91 था, जिसका अंतिम निर्णय दिनांक 29.04.1993 को हो गया। उक्त पूर्ववर्ती वाद घोषणार्थ व विभाजन का प्रस्तुत कर वादकारण दर्ज किया है, जबकि पश्चात्वर्ती वाद में वादकारण दिनांक 23.05.2018 को वाद–पत्र में दर्ज भूमि को विक्रय करने की धमकी देने के रोज पैदा हुआ है, का अंकन किया है। अप्रार्थी/वादी ने नामान्तरण संख्या 182 दिनांक 22.05.90 के दर्ज होने को चुनौती दी है, जबकि अप्रार्थी/वादी उक्त नामान्तरण संख्या 182 दिनांक 22.05.1990 को अपने पूर्व वाद संख्या 35/91 में विधि संगत मानते हुये दावा डिक्री करवाया है, जब कानूनन पूर्व वाद में उक्त नामान्तरण बाबत् अंतिम निर्णय हो चुका है, इसलिये पश्चात्वर्ती वाद में वाद हेतुक प्रकट नहीं करता है। पूर्ववर्ती वाद संख्या 35/91 के पैरा नं0 2 के वादीगण ने स्व0 महाबक्स की वंशावली अंकित की है, जिसमें स्व0 बालजी के दत्तक पुत्र के रूप में प्रतिवादी नं0 1 प्रभुदयाल को दर्शाया है व कथन किया है कि "फरीकेन एक ही दादा की औलाद है, बालजी ने अपने बड़े भाई नारायण का एक लड़का प्रभुदयाल को गोद लिया है, अब बालजी के फौत होने पर उनकी जगह उनके दत्तक पुत्र प्रभुदयाल का नाम राजस्व रिकॉर्ड में इंतकाल के जरिये लिखा गया है, जो सही है, इसलिये यह घोषणा का वाद प्रभुदयाल का नाम नारायण के हिस्से से हटाने के लिये किया जा रहा है तथा इस जमीन के आधे हिस्से में वादीगण का नाम होना चाहिये तथा आधे हिस्से में प्रतिवादी नं0 1 प्रभुदयाल का होना चाहिये। जब पूर्ववर्ती वाद में वादी ने जहां अपने दावे के किसी भाग के बारे में वाद लाने का लोप करता है, उसे आशय त्याग देता है, वहां उसके पश्चात् वह इस लोप किये गये या त्याग किए गये भाग के बारे में वाद नहीं ला सकता है। इस प्रकार वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अं. आदेश 2 नियम 2 सी.पी.सी. के प्रावधानो के तहत खारीज होने योग्य है।

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र विवादित भूमि का निर्णय उनवानी वाद बनवारीलाल वगैरह बनाम प्रभुदयाल वगैरह मु0 नं0 35/91 का अंतिम निर्णय दिनांक 29.04.93 को पारीत होकर डिक्री हो गया है, उक्त डिक्री की आज तक किसी भी सक्षम न्यायालय में वादी ने अपील नहीं की है, जो अंतिम डिक्री है व वादी द्वारा इन्ही तथ्यो के आधार पर पुनः वाद–पत्र प्रस्तुत किया गया है जो अन्तर्गत Section 11 C.p.c के तहत प्रांगन्याय के सिद्धान्त से बाधित है। वादी स्वीकृतियों से बाहर नही जा सकता और आगे न्यायनिर्णयन करना आवश्यक नही है। [illegible] निर्णित वाद धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन भी खारिज किया जा सकता है [illegible] न्यायिक दृष्टांतो से साबित होता है। वह सिविल प्रक्रिया संहिता के Order 2 Rules 2 C.p.c [illegible] पृथक वाद दायर नहीं कर सकता। यदि वादी द्वारा उन्ही तथ्यो के आधार पर [illegible] लाया जाता है तो वह अन्तर्गत Section 11 C.p.c के तहत प्रांगन्याय के सिद्धांत से बाधित है। तथा Section 12 C.p.c के तहत भी वर्जित है। क्योंकि वादी किसी विशिष्ट वाद हैतुक के संबंध में अतिरिक्त वादी संस्थित करने से नियमों द्वारा प्रवारित है। वहां किसी ऐसे न्यायालय में जिसे सिविल प्रक्रिया संहिता लागू है कोई वाद ऐसे वाद

ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रै.)
नवलगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:15:05 IST
Reason: SelfAttested

हेतुक के संबंध में संस्थित करने का हकदार नही होगा। चूंकि वाद के विषयवस्तु के संबंध में पूर्व में अंतिम निर्णय में जारी हो चुका है। वादी ने उक्त निर्णय की कोई अपील नही की है। यदि एक बार निर्णय होने के बाद दुबारा उसी वाद हैतुक पर उन्ही पक्षकारों या उनके उतराधिकारियों के मध्य चुनौती देने की छूट का अर्थ होगा वादो का अंतहीन होना। धारा 11 सीपीसी में निश्चयात्मकता में सिद्धांत को अपनाया गया है ताकि मुकदमे बाजी का अंत हो एक ही विषय वस्तु पर एक वाद हैतुक के लिए उन्ही पक्षकारों को दुबारा तंग/परेशान नही किया जाना अर्थात दोहरे वाद से सुरक्षा प्रदान करना एक न्यायिक निर्णय को सही माना जाना जो तीन रोमन सुत्रों पर पर आधारित है। इसलिए वादी को विचाराधीन वाद के लिए कोई हैतुक नही है। तथा धारा 11 आदेश 2 नियम 2 सीपीसी के प्रावधानों के तहत पोषणीय नही है। फलस्वरूप प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11, आदेश 2 नियम 2 व धारा 2(2) व धारा 11 सहपठित धारा 151 सी.पी.सी. पोषणीय एवं न्यायोचित प्रतीत होती है। अतः प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11, आदेश 2 नियम 2 व धारा 2(2) व धारा 11 सहपठित 151 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाता है। तथा वादी का वाद–पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। निर्णय दिनांक 30.03.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दमयंती कंवर)
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक)
नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:15:05 IST
Reason: SelfAttested

105

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़

मुकाम बईजलास नवलगढ़ दमयंती कंवर (आर.ए.एस.)

दावा बाबत घोषणा एवं विभाजन

अ.धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा सं0:– 98 / 2018 **(रामवतार आदि बनाम प्रभूदया आदि)**

पर्चा डिक्री

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू **दमयंती कवंर** (आर.ए.एस.), सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ बहाजिरी..वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक **30.03.2022** निर्णय अनुसार प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11, आदेश 2 नियम 2 व धारा 2(2) व धारा 11 सहपठित 151 सी.पी.सी. स्वीकार होने के फलस्वरूप वादी का वाद खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

जिन.....–..... मुबलिग.....–.....बाबत.....–.....खर्चा इस मुकदमे मे मय सूद बशरह.....–..... ..फीसदी सालना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....–.....का अदा करे।

बसक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख **30.03.2022** को जारी की गई।

(दमयंती कवंर दे.)
सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.) नवलगढ
मोहर

मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	04.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	02.00	स्टाम्प वकालतनामा	2.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	04.00	मुतफरिक मिजान	6.00
कुल	10.00		8.00

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:15:05 IST
Reason: SelfAttested